

न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-574 / 2006
 संस्थित दिनांक-29.08.2006
 फाईलिंग क्र.234503000322006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1-रमेश पिता परसादी, उम्र-40 वर्ष, जाति मरार,
 निवासी-ग्राम डोंगरिया, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-राजकुमार पिता दशरथ, उम्र-40 वर्ष, जाति कूर्मी,
 निवासी-ग्राम डोंगरिया, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-सन्तोष पिता जीवन, उम्र-32 वर्ष, जाति कूर्मी,
 निवासी-ग्राम डोंगरिया, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-12/08/2015 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 324/34, 323/34 (दो बार) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-08.04.2006 को करीब 11:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में दुपराम मरार के मकान के पास प्रार्थी जलसिंह एवं कोमल साईकिल से जा रहे, जिस दिशा में उन्हें जाने का अधिकार था, उस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा आहत जलसिंह को खतरनाक आयुध के रूप में पत्थर का प्रयोग कर उक्त पत्थर से मारपीट कर एवं आहतगण शिवप्रसाद एवं कोमल को हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-08.04.2006 फरियादी जलसिंह अपनी बहन झुलमनबाई एवं तीजनबाई को लेकर विवाह कराने के लिए ग्राम डोंगरिया आया था तथा दुल्हा एवं दुल्हन के स्नान के बाद रात्रि करीब 11:00 बजे वह और कोमल साईकिल से ग्राम डोंगरिया अचानकपुर जा रहे थे, तो साईकिल को कोमल चला रहा था और वह पीछे बैठा था। वह ग्राम डोंगरिया में दुपराम मरार के घर के पास पहुंचे तो रास्ते में ग्राम डोंगरिया के रमेश मरार, सन्तोष कुर्मी, राजकुमार कुर्मी ने रोककर उनको पूछा कि दुल्हन तुम्हारी कौन लगती है तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन लगती है, तो उसी समय आरोपी रमेश मरार ने उसे पत्थर से मारा, जो उसकी दाढ़ी में लगा। उसी समय सन्तोष कुर्मी, राजकुमार कुर्मी दोनों उसे पत्थर व लकड़ी से मारने लगे। कोमल को अधिक चोट लगने से वह बेहोश हो गया था, तब उसके चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर शिवप्रसाद मरार, जगराम मरार, राकेश मरार बचाने आए तो शिवप्रसाद मरार को भी आरोपी रमेश मरार ने लाठी से मारा था। बाद में ग्राम डोंगरिया के दशरथ मरार भी आए थे और बीच-बचाव भी किया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी जलसिंह द्वारा चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक-21/06, धारा-341, 324, 323, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा उक्त घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 324/34, 323/34 (दो बार) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-08.04.2006 को करीब 11:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में दुपराम मरार के मकान के पास

प्रार्थी जलसिंह एवं कोमल साईकिल से जा रहे जिस दिशा में उन्हें जाने का अधिकार था, उस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत जलसिंह को खतरनाक आयुध के रूप में पत्थर का प्रयोग कर उक्त पत्थर से मारपीट किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण शिवप्रसाद एवं कोमल को हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत जलसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना आज से करीब दस वर्ष पूर्व की है। वह कोमल के साथ साईकिल से अचानकपुर जा रहा था। जैसे ही वे ग्राम डोंगरिया से निकले तो आरोपी रमेश ने उससे पूछा की दुल्हन तुम्हारी क्या लगती है। आरोपी रमेश के साथ अन्य दो-तीन लोग थे, जिसमें आरोपी राजकुमार भी था। अन्य आरोपीगण के नाम उसे याद नहीं हैं। फिर आरोपीगण में से एक आरोपी ने उसे ठोड़ी पर पत्थर मार दिया। उसे आरोपीगण में किसने पत्थर से मारा, वह अंधेरा होने के कारण देख नहीं पाया था। उसके हाथ में भी चोट आई थी। उसके अलावा आरोपीगण ने कोमल से भी मारपीट किया था, जिससे वह बेहोश हो गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने सालेटेकरी में किया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में कराया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे।

6— प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर अंधेरा था तथा आरोपीगण 8-10 व्यक्ति थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अंधेरे में आरोपीगण में से किसने मारा, वह नहीं बता सकता। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपीगण ने ही मारे थे। इस प्रकार साक्षी के कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके द्वारा लेख कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिस पर

अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7— कोमल (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है, जो ग्राम डोंगरिया का है। घटना लगभग तीन-चार वर्ष पूर्व उसकी बहन के विवाह के समय की है। घटना दिनांक को वह उसके भाई जलसिंह के साथ अचानकपुर विवाह में जा रहा था, उस समय उन लोग एक ही साईकिल से दोनों लोग जा रहे थे, जैसे ही वे ग्राम डोंगरिया के आगे आम के बगीचे के पास पहुंचे, तभी आम के बगीचे के पास से 6 लोग आए, उस समय उनके पास लाठी थी और उन लोगों ने लाठी से मारना-पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे कमर पर, सिर पर और पैर के घुटनों पर चोट आई थी। रात्रि होने के कारण वे 6 लोग कौन-कौन थे, वह नहीं पहचान पाया था। सुबह उसे पता चला कि उन 6 लोगों में आरोपीगण भी थे। उसने पुलिस को पूछताछ कर अपना बयान दिया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि आरोपी रमेश ने जलसिंह को पत्थर से दाढ़ी पर मारा था और आरोपी संतोष व राजकुमार ने उसे लाठी से मारपीट किया था।

8— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय किसने लाठी रखा था और किसने पत्थर रखा और किसने किसको मारा, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता और गांव वालों के कहने पर वह बयान दे रहा है। साक्षी के कथन से आरोपीगण की शिनाख्ती नहीं होती है, किन्तु घटना के समय उसे तथा आहत जलसिंह को 6 लोगों के द्वारा मारपीट कर उपहति कारित करने के संबंध में फरियादी जलसिंह (अ.सा.2) की साक्ष्य का समर्थन होता है। इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आहत जलसिंह एवं कोमल को साधारण उपहति कारित होने के तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है।

9— शिवप्रसाद (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण व आहतगण जलसिंह व कोमल को पहचानता है। घटना वर्ष 2006 की शाम के समय की है। घटना के समय जलसिंह व कोमल ग्राम डोंगरिया से अचानकपुर जा रहे थे, तो रास्ते में आरोपीगण ने रोककर उन्हें मारपीट की थी। वह घटना के बाद हल्ला होने पर पहुंचा था। आरोपीगण ने उसे भी मारे थे, जिससे उसके कान में चोट लगी थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय

रात के अंधेरे में वह उपस्थित नहीं था तथा अंधेरे में किसने उसे मारा वह नहीं देख पाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के बारे में दूसरे दिन बताने पर वह जानकारी दे रहा है। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आरोपीगण के द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया है, किन्तु अपनी साक्ष्य में इस तथ्य का समर्थन किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ आहत जलसिंह, व कोमल को भी मारपीट कर उपहति कारित की थी।

10— जगलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी रमेश मरार को जानता है। पुलिस ने आरोपी रमेश मरार से उसके सामने कोई जप्ती नहीं की, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने पुलिस द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

11— राकेश (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण व आहतगण को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसके रिश्तेदार की शादी में गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उस समय रात 11:00 बजे उसने आहत कोमल और जलसिंह को गांव के लोगों द्वारा मारपीट किये जाते हुए देखा था और बीच-बचाव किया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

12— आहतगण शिवप्रसाद, जलसिंह एवं कोमल का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर एम. मेश्राम (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अपने कथन में बताया है कि उसने दिनांक-09.04.2006 को पुलिस चौकी सालेटेकरी के आरक्षक रमेश के द्वारा आहत शिवप्रसाद, कोमल व जलसिंह को आई चोटों का परीक्षण हेतु लाए जाने पर उक्त आहतगण के शरीर में कड़े बोथरे एवं खुरदुरी वस्तु से चोट आना पाई थी, जो साधारण प्रकृति की थी। उक्त आहतगण की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4, 5, 6 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चिकित्सीय साक्षी के कथन में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय सभी आहतगण को साधारण उपहति कारित हुई थी। इस साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि आहत जलसिंह को किसी नुकीली वस्तु या वेधन या धारदार वस्तु से चोट कारित हुई थी। इस प्रकार सभी आहतगण को कड़े व

बोथरी वस्तु से चोट आने की साक्ष्य से आहतगण को मात्र साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि होती है।

13— अनुसंधानकर्ता अधिकारी गोविन्द प्रसाद हिरकने (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-09.04.06 को चौकी सालेटेकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को जलसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन 0/06, धारा-341, 324, 323/34 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल नंबरी हेतु थाना बिरसा भेजा था, जिसे निरीक्षक एस.के. भारती के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-21/06, धारा-341, 324, 323, 34 भा.द.वि. के तहत आरोपीगण के विरुद्ध में लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर निरीक्षक एस.के. भारती के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह उनके अधिनस्थ कार्य करने के कारण पहचानता हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-10.04.06 को जलसिंह की निशानदेही पर उक्त घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी जलसिंह, साक्षी कोमल, शिवप्रसाद, राकेश, जगराम, दशरथ के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-11.04.06 को आरोपी रमेश से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार एक पत्थर जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी रमेश को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-18.07.06 को आरोपी संतोष, राजकुमार को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 एवं 9 सहायक उपनिरीक्षक विजय कुमार अहिरवार के द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर विजय कुमार अहिरवार के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

14— प्रकरण में फरियादी/आहत जलसिंह (अ.सा.2) ने उसके द्वारा लेख कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से आरोपीगण की पहचान के संबंध में चुनौती पेश

की गई है, किन्तु साक्षी के कथन इस संबंध में स्थिर रहें हैं कि उसे आरोपीगण ने ही मारपीट कर उपहति कारित की थी। इस साक्षी ने अन्य आहत कोमल को भी आरोपीगण के द्वारा मारपीट कर उपहति कारित किये जाने की पुष्टि की है। शेष आहतगण कोमल (अ.सा.3) एवं शिवप्रसाद (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण की पहचान स्पष्ट नहीं की है तथा अंधेरा होने के कारण उन्हें पहचान न करने और दूसरों के बताने पर आरोपीगण की पहचान किया जाना स्वीकार किया है। यद्यपि उक्त आहतगण ने उन्हें घटना के समय आहत जलसिंह के साथ उन्हें भी मारपीट में चोट आने के कथन किये हैं, जिनका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी दशा में आहत जलसिंह (अ.सा.2) की मौखिक साक्ष्य एवं प्रकरण में प्रस्तुत पारिस्थितिक साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उक्त आहतगण को भी आरोपीगण के द्वारा उपहति कारित की गई है।

15— आहतगण को घटना के समय साधारण उपहति कारित करने का समर्थन चिकित्सीय अभिमत से भी प्राप्त होता है। घटना के समय आरोपीगण के साथ अन्य व्यक्ति का मारपीट में साथ दिया जाना और उन्हें पहचान के अभाव में अभियोजित न किये जाने से आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है। आरोपीगण की स्पष्ट पहचान जलसिंह (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में की है। ऐसी दशा में अन्य आहतगण का आरोपीगण की पहचान न करने से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है, बल्कि आहत जलसिंह के द्वारा आरोपीगण की शिनाख्ती अखण्डित होने से उक्त कमी का लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है। जलसिंह (अ.सा.2) की साक्ष्य के साथ कोमल (अ.सा.3) एवं शिवप्रसाद (अ.सा.4) की साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आरोपीगण के द्वारा ही आहत जलसिंह एवं अन्य आहत कोमल व शिवप्रसाद के साथ भी मारपीट कर उन्हें चोट पहुंचाई गई थी।

16— आरोपीगण के द्वारा उक्त आहतगण को मारपीट करते समय आहतगण को निश्चित ही उपहति कारित करने का आशय रखते हुए मारपीट की गई थी और साधारण उपहति कारित होने की संभावना को आरोपीगण जानते थे। ऐसी दशा में आरोपीगण का उक्त कृत्य स्वेच्छया उपहति कारित करने के श्रेणी में आता है। आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत जलसिंह, कोमल व शिवप्रसाद को उपहति कारित करने का आशय निर्मित कर उसे मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है। इस प्रकार आहतगण जलसिंह, कोमल व शिवप्रसाद की उपहति हेतु सभी

आरोपीगण समान रूप से उत्तरदायी हैं।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने मिलकर आहतगण जलसिंह, शिवप्रसाद व कोमल को घटना के समय निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया और आहतगण जलसिंह, कोमल एवं शिवप्रसाद को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उक्त आहतगण को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। आरोपीगण के द्वारा उक्त मारपीट में आहत जलसिंह को खतरनाक आयुध, साधन या वेधन के रूप में पत्थर का प्रयोग किया जाना प्रमाणित नहीं है। यद्यपि आरोपीगण द्वारा पत्थर एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट कर आहतगण जलसिंह, शिवप्रसाद एवं कोमल को स्वेच्छया उपहति कारित किया जाना प्रमाणित है। ऐसी दशा में आरोपीगण को आहत जलसिंह की चोट हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के स्थान पर धारा-323/34 के अपराध अंतर्गत दायित्वाधीन ठहराना उचित होगा। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 323/34(तीन बार) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

18— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

19— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2006 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

20— मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपीगण मामले में वर्ष 2006 से लगातार विचारण का सामना कर रहे

हैं। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—

धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
341 भा.दं.वि.	—	500 / —	एक माह का सादा कारावास
323 / 34 भा.दं.वि. आहत जलसिंह के लिए	—	1,000 / —	एक माह का सादा कारावास
323 / 34 भा.दं.वि. आहत कोमल के लिए	—	1,000 / —	एक माह का सादा कारावास
323 / 34 भा.दं.वि. आहत शिवप्रसाद के लिए	—	1,000 / —	एक माह का सादा कारावास

21— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

22— प्रकरण में आरोपी संतोष दिनांक-13.04.2011 से दिनांक-20.04.2011 तक, आरोपी रमेश दिनांक-07.05.2012 से दिनांक-29.05.2012 तक एवं आरोपी राजकुमार दिनांक-07.01.2015 से दिनांक-08.01.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं का पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

23— प्रकरण में जप्तशुदा पत्थर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट